



**प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)**

आवेदन क्रमांक/स्कूल नम्बर : 150965/  
36711

कामोदीय शिक्षा विभाग अधिकारी (शिवुरी), मध्यप्रदेश

स्कूल: LITTLE ANGLE PUBLIC MS  
SCHOOL PICHHORE

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

तिथि - 2022-23

**Signature Not Verified**

Digitally signed by  
Date: 2022-05-29 13:43:26 +05:30  
Reason: Issued By: deo shivuvi

प्रति,

**प्रबंधक (LITTLE ANGLE PUBLIC MS SCHOOL PICHHORE)**

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रभावत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 28/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पर्याप्तता पत्र व्यवहार / निरक्षण के सम्बन्ध में, मैं अपनी स्कूल - LITTLE ANGLE PUBLIC MS SCHOOL PICHHORE डाक्स नंबर - 23060900139 स्कूल इमांक - PS 36711 को कहा है प्राइमरी-नवीनी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्ययीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विविहित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पढ़ीसी की सीमा के विचित समूह तथा कमज़ोर तरी के बालकों को कक्षा 1 से न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रबन्ध वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पर्याप्त प्रतिशत के अधीन होगा बताते कि जहां स्कूल पूरे स्कूल (यो स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्रो-स्कूल ने प्रदेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बिंदू तथा उपलब्ध कराना होगा।
- सीसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस के संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी ऊनबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रदेश देने से इकार नहीं करेगा -
  - (क) आयु के स्वृत के आधार पर ;
  - (ख) यदि प्रदेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चायत ऐसा प्रदेश चाहा गया है;
  - (ग) घर, जाति या गूलवारा, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रत्यक्षित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक बालक को कोई बोडे परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने काले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःश्वसन/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शमालित किया जाएगा
  - अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी, बच्चे कि बनाने की कार्यत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहेत नहीं रखते हैं, उन्हे अधिनियम के पारम्परिक अधीन आहेत प्राप्त करनी होगी
  - 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहेत प्राप्त करनी होगी
- शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनोरेस्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपाठ्य का अनुसरण करेगा
  - अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल से बच्चों का नामांकन किया जाएगा

*[Signature]*  
Principal  
Little Angel Public School  
Pichhore Distt. Shivpuri  
Manager  
Little Angel Public School  
Pichhore Distt. Shivpuri

*[Signature]*  
Shivpuri  
Little Angel Public School  
Pichhore Distt. Shivpuri  
Principal  
Shivpuri  
प्रायक्त टाचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी